भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 1022

उत्‍तर देने की तारीख : 09 मार्च, 2017

**राजस्थान के छात्रों के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज हेतु राजसहायता**

**1022. श्री नारायण लाल पंचारियाः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) शिक्षा ऋणों पर ब्याज हेतु राजसहायता उपलब्ध कराने संबंधी केन्द्रीय योजना की मुख्य

विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उक्त योजना की क्या-क्या उपलब्धियां हैं;

(ग) प्रारंभ से उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है;

(घ) राजस्थान में इस योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में पात्र छात्रों को शिक्षा ऋण पर राजसहायता देने से मना किये जाने तथा योजना के क्रियान्वयन में अन्य भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा क्या-क्या सुधरात्मक कदम उठाए

गए हैं/जा रहे हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. महेन्‍द्र नाथ पाण्‍डेय)**

(क): ब्यौरे संलग्न हैं।

(ख) और (ग): इस योजना के तहत 23,62,438 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

(घ): इस योजना से राजस्थान के 1,44,038 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

(ड.) और (च): कैनरा बैंक अर्थात् इस योजना के नोडल बैंक ने यह उल्लेख किया है कि उसे पात्र विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋणों पर सहायिकी को मना करने या इस योजना के कार्यान्वयन में अन्य भ्रष्ट प्रक्रियाओं से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**“राजस्थान के छात्रों के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज हेतु राजसहायता” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री नारायण लाल पंचारिया द्वारा दिनांक 09.03.2017 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1022 के भाग (क) में उल्लिखित संलग्नक**

**केन्‍द्रीय क्षेत्र ब्‍याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएसएस)**

योजना को 01.04.2009 से शुरू किया गया था।

2. योजना के लक्ष्‍य एवं उद्देश्‍य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों को भारत में मान्‍यताप्राप्‍त संस्‍थाओं में तकनीकी एवं व्‍यावसायिक विषयों में उच्‍चतर शिक्षा पहुंच प्राप्‍त करने में समर्थ बनाना है।

3. सीएसआईएसएस की प्रमुख विशेषताएं निम्‍नलिखित हैं:-

* सीएसआईएसएस भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की मॉडल शैक्षिक ऋण योजना पर आधारित है।
* योजना में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों द्वारा भारत में मान्‍यताप्राप्‍त संस्‍थानों से तकनीकी/व्‍यावसायिक विषयों में किसी भी अनुमोदित अध्‍ययन पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने के लिए आईबीए की मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसूचित बैंकों से लिए गए ऋणों पर स्‍थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि + एक वर्ष) के दौरान पूर्ण ब्‍याज सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है।
* ब्‍याज सब्सिडी को मौजूदा आईबीए योजना के साथ जोड़ा गया है और इसे 12वीं कक्षा के बाद व्‍यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए सीमित किया गया है।
* स्‍थगन अवधि के दौरान देय ब्‍याज को सरकार द्वारा और तत्‍पश्‍चात छात्रों द्वारा वहन किया जाएगा।
* पात्रता के लिए अभिभावकों/पारिवारिक आय की उच्‍चतम सीमा 4.5 लाख रूपए प्रतिवर्ष है।
* यह सब्सिडी अवर स्‍नातक या स्‍नातकोत्‍तर या एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए केवल एक बार देय होगी।
* ब्‍याज सब्सिडी उन छात्रों जो चिकित्‍सा आधार पर पढ़ाई छोड़ते हैं के अलावा, पाठ्यक्रम छोड़ने वालों या किसी कारण से संस्‍थान से निष्‍कासित छात्रों के लिए स्‍वीकार्य नहीं होगी।

\*\*\*\*\*\*